न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 434 / 2026

पंडारक थाना कांड सं0 100 / 2026

अंतर्गत धारा 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता एवं 25(1-B)a, 26, 35 शस्त्र अधिनियम

तीरथ कुमार, उम्र– 28 वर्ष, पिता– स्व0 दुलारचंद यादव, ग्राम– छपेड़ातर, थाना– पंडारक, जिला– पटना।

.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

..... अभियोजन

उपस्थिति

आवेदक की ओर से : विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश कुमार,

अभियोजन की ओर से : विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री प्रमोद कुमार।

28.07.2026

1. इस कांड में दिनांक **18.05.2026** से काराधीन आवेदक / अभियुक्त की ओर से दिनांक 18.07.2026 को नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से दो आपराधिक इतिहास दर्ज है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना एवं घटनास्थल से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। अतः आवेदक के विरूद्ध धारा 61 भारतीय न्याय संहिता एवं शस्त्र अधिनियम के तहत मामला नहीं बनता है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप नहीं है। इस कांड के सह अभियुक्त रंजन कुमार उर्फ कारू को पूर्व में नियमित जमानत आवेदन सं0 372 / 2026 दिनांक 30.06.2026 एवं अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ हनी को नियमित जमानत आवेदन सं0 391 / 2026 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झुठे केस में फंसा दिया गया है। आवेदकगण दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

3. अभियोजन ने नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया है।

4. उपर्युक्त नियमित जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे पता चलता है कि प्रस्तुत मामला में सूचक के द्वारा यह अभियोग लगया गया है कि दिनांक 17.05.2026 को सरहन डैम्प पर 4–5 की संख्या में अपराधकर्मी हथियार के साथ सरहन डैम्प से निकलने वाले फेन को छानने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो दहशत एवं वर्चस्व का माहौल बनाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। इस सूचना पर सूचक एवं अन्य पुलिस बल के लोग उक्त स्थल पर पहुंचे तो देखे के पुलिस को देखकर दो मोटरसाइकिल पर सवार कुल 5 अपराधर्मी जो मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा से आ रहे थे जो बाईक पटक कर पाईपलाईन को पार कर चिन्तामनचक गांव की ओर भागने लगे, जिसे पुलिस के द्वारा भागने वाले में से तीन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा घेर लिया गया तथा पुलिस के चेतावनी पर तीनों व्यक्तियों द्वारा अपना–अपना हथियार गोली अगल बगल फेंक दिया गया जिसके बाद पकड़ाये व्यक्तियों द्वारा अपना नाम क्रमशः सुमित कुमार उर्फ जेलर, तीरथ कुमार एवं संदीप कुमार उर्फ हन्नी बताया गया तथा पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि हमलोगों के साथ रंजन कुमार उर्फ कारू एवं फुलचंद यादव ये सब लोग योजना बनाकर एन0टी0पी0सी0 से निकलने वाला फेन को छानने के लिए हथियार के साथ इकट्ठा हुए थे और अगर कोई विरोध करता तो उसको गोली मार देने का प्लान किए थे। तलाशी के क्रम में पकड़ाए तीनों व्यक्तियों के पास फेंका 3 देशी कट्टा एवं 9 जिंदा गोली तथा 3 मोबाईल बरामद हुआ, जिसके संबंध में पकड़ाए तीनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये हम हथियार गोली हमलोग अपने पास रखे हुए थो जो पुलिस की चेतावनी पर बगल के झाड़ी में फेंक दिए थे, पकड़ाये व्यक्ति संदीप कुमार उर्फ हन्नी द्वारा बताया गया कि फुलचंद और कारू भी हथियार लिए हुए था जो फेंक कर भागा है हम देखे हुए हैं जो बरामद करवा सकते हैं। जिसके बाद इनकी निशानदेही पर कुछ ही दूरी पर बताए गए स्थल पर खोजबीन करने पर एक लोडेड देशी कट्टा बरामद हुआ एवं

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ.

नियमित जमानत आवेदन सं0 434/2026

पंडारक थाना कांड सं0 100/2026

लगातार

28.07.2026 उक्त कट्टा को अनलोड करने पर एक जिंदा गोली बरामद हुआ, जिसके बाद वहां से मोटरसाकिल छोड कर सभी व्यक्ति भागे थे वहां पहुंच कर एक पल्सर मोटरसाकिल जिसपर निबंधन सं0 अंकित नहीं एवं एक स्पलेंडर मोटसाइकिल बरामद हुआ, जिसे जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।

5. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका 2 में जप्ती सूची है, कंडिका 3 में वादी का बयान है, कंडिका 4, 5, 6 एवं 7 के साक्षियों के द्वारा घटना के बारे में बताया है, कंडिका 9 में घटनास्थल है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक के सचेत कब्जा से कोई शस्त्र बरामद नहीं हुआ है तथा आवेदक दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। इस कांड के सह अभियुक्त रंजन कुमार उर्फ कारू को पूर्व में नियमित जमानत आवेदन सं0 372/2026 दिनांक 30.06.2026 एवं अभियुक्त संदीप कुमार उर्फ हनी को नियमित जमानत आवेदन सं0 391/2026 दिनांक 03.07.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है।

6. इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा में बिताई गई अवधि पर विचार करने के उपरांत आवेदक को सशर्त जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक की ओर से मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदक को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे तथा अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेगा। उपर्युक्त शर्त के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदक के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष को प्रभावित नहीं करेगा।

लेखापित एवं शुद्धित
Sd/-
(अमित कुमार दीक्षित)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़